# फर्द अहकाम

...लय खातेदारी डिक्ले०/बनाम धापूराम आदि

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर ग्रामीण

...या ४२१/२०२४

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 23/7/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश के लिये रखी गई। पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील वादी की बहस को श्रवण करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावेगा।<br>निर्णय आज [illegible] सुनाया गया।<br>पत्रावली [illegible] होकर नकल [illegible] से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ़ जिला-जयपुर | |

Y3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

| मिसल नं. | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 42 / 2024 | 02 / 04 / 2024 | 23.07.2024 |

1. प्रकाशी देवी पत्नि विशंभर दयाल जाति मीना निवासी 340, आम का पुरा, बडोली सवाईमाधोपुर।
2. सुनीता पत्नि रामलखन मीना जाति मीना निवासी 15/2, गिरधर हॉस्पिटल मालवीय नगर जयपुर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1 छाजूराम मीना पुत्र गोविदराम मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील आंधी जयपुर।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रामकरण शर्मा :- वकील वादीगण

दावा बाबत सीमा घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट

-: निर्णय:-

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता के वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दौलतपुरा में प्रहलाद पुत्र हणुता मीणा खसरा नम्बर 128 मे से 10 बीघा भूमि आवंटन विधिक रूप से की गई जिस समय भूमि सिवाय चक थी तथा खातेदारी प्राप्त होने पर उक्त खातेदार ने जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र से उक्त भूमि को प्रभाती देवी को बेचान किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 599 से खातेदारी दर्ज हुई तथा उक्त खातेदार ने भी उक्त भूमि को वादीगण को बेचान कर दिया जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। उक्त भूमि के गत मूल खसरा नम्बर 128 रहे है तथा इसके बाद उक्त वादीगण की भूमि के खसरा नम्बर 349 रहे तथा वादीगण ने उक्त भूमि में से 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 1 को बेचान कर बंटवारा करवा लिया जिसमे पृथक खसरा नम्बर 853/349 प्रतिवादी सं0 1 के व खसरा नम्बर 854/349 वादीगण के खसरा नम्बर कायम किये गये जिस पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 काबिज है। उक्त भूमि का नक्शा तरमीम कब्जे के विपरीत तरमीम किया है जो दुरूस्तनीय है व वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 अपने- अपने कब्जे अनुसार संलग्न नजरी नक्शें अनुसार नक्शा तरमीम करवाना चाहते है जिसके वादीगण अधिकारी है। खसरा नम्बर 348 भी सरकारी भूमि है जो गत खसरा नम्बर 128 का भाग रही है तथा खसरा नम्बर 349 भी गत खसरा नम्बर 128 का भाग रही है तथा राज्य सरकार द्वारा वादीगण को भूमि आवंटन किया है जिसकी नक्शा तरमीम भी मुताबिक कब्जा किया जाना आवश्यक था जो कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत नक्शा तरमीम कर दिया गया था। अभी वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य जब विधिक बंटवारा किया गया तथा मौके पर जब पैमाईश की गई तो दिनांक 10.03.2024 को वादीगण को उक्त गलत नक्शा होने की जानकारी आई तथा वादीगण के लिये मौके पर कब्जे अनुसार नक्शा तरमीम दुरूस्त करवाने का दावा न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक हुआ। वादीगण द्वारा संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित लाल रंग अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 काबिज काश्त है तथा हरा रंग से दर्शित भूमि सरकारी है। उक्त अनुसार नक्शा तरमीम किया जाना कानूनन आवश्यक है तथा उक्त अनुसार वादीगण काबिज है इसलिये वादीगण लाल रंग की भूमि पर काबिज होने से उक्त संख्यमित भाग का काबिज खातेदार वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

को घोषित कर पूर्व में कब्जे के विपरीत नक्शा तरमीम को दुरूस्त कर लाल रंग से दर्शित भाग की भूमि खसरा नम्बर 854/349 वादीगण की व खसरा नम्बर 853/349 प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी नक्शा तरमीम करने के आदेश दिया जाना आवश्यक है जिसके वादीगण अधिकारी है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वाके ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का धर्मपुरा तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 854/349 व 853/349 की नक्शा तरमीम संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित लाल रंग की जगह किया जावें व हरे रंग की जगह खसरा नम्बर 348 के नक्शे की तरमीम कर वादीगण का वाद घोषित किया जावें कि वादीगण संलग्न नक्शें अनुसार काबिज होने से उक्त पूर्व नक्शें को दुरूस्त कर वादीगण की भूमि की संख्यामित सीमाओं की घोषणा की जावें जिसके वादीगण अधिकारी है।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों का तलबी जरिये रजि0 ए0डी0 से जारी की गई। प्रतिवादी सं 1 अनुपस्थित। प्रतिवादी सं0 1 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं0 2 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आर.टी./2024/515 दिनांक .10.06.24 द्वारा जवाब पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम दौलतपुरा के नामा0 सं0 111 से ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 128 सिवायचक भूमि में से 10 बीघा भूमि प्रहलाद पुत्र हनुता मीना के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई थी; जिसको जरिये नामा0 सं0 263 से खातेदारी प्रदान की गई थी। जिसके खसरा न8म्बर 128/2 बनें। जरिये नामा0 सं0 599 से दौलतपुरा के खाता सं0 65 के खसरा नम्बर 128/2 रकबा 10 बीघा में खातेदार प्रहलाद पुत्र हनुता कौम मीना सा0देह की बजाय प्रभाती देवी पत्नि स्व0 नानगराम मीना निवासी धन्नाफैली की ढाणी, ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा हाल निवासी सी–53 बालनगर करतारपुरा जयपुर दर्ज हुआ है। एवं जरिये नामा0 स्र0 330 दिनांक 20.03.2023 बेचान से ग्राम दौलतपुरा के खाता संख्या 90 के खसरा नम्बर 349 रकबा 2.52है0 में खातेदार की बजाय 1. सुनिता पत्नि रामलखन हिस्सा 1/3 जाति मीना निवासी 15/2 गिरधर हॉस्पिटल मालवीय नगर जयपुर खातेदार व 2. प्रकाशी देवी पत्नि विशंभर दयाल हिस्सा 2/3 जाति मीना निवासी 340 आम का पुरा बडोली सवाई माधोपुर खातेदार दर्ज हुआ है।

मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम दौलतपुरा के हाल खसरा नम्बर 349 के गत खसरा नम्बर 128/2 है। जरिये नामा0 सं0 337 दिनांक 30.05.23 बेचान से ग्राम दौलतपुरा के खाता सं0 90 के खसरा नम्बर 349 रकबा 2.52है0 में सुनिता पत्नि रामलखन हि0 1/3 जाति मीना निवासी 15/2 गिरधर हॉस्पिटल मालवीय नगर जयपुर खातेदार के बजाय 1. सुनिता पत्नि रामलखन हि0 2/7 जाति मीना निवासी 15/2 गिरधर हॉस्पिटन मालवीय नगर जयपुर खातेदार एवं 2. छाजूराम मीना पुत्र गोविन्द राम मीनां हि0 1/21 जाति मीना सा0देह खातेदार दर्ज हुआ। एवं जरिये नामा0 सं0 351 दिनांक 01.12.2023 विभाजन से ग्राम दौलतपुरा के खाता नम्बर 90 के खसरा नम्बर 349 रकबा 2.51है0 में खातेदार सुनिता पत्नि रामलखन हि0 2/7 जाति मीना निवासी 15/2 गिरधर हॉस्पिटल मालवीय नगर जयपुर खातेदार, प्रकाशी देवी पत्नि विशंभर दयाल हिस्सा 2/3 जाति मीना निवासी 340 आम का पुरा बडोली सा0 सवाईमाधोपुर खातेदार राहिन पूर्ण खाता हिस्सा 2/3 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बांसखोह एवं छाजू राम मीना पुत्र गोविन्दराम मीना हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0देह खातेदार एवं खाता सं0 90 के खसरा नमबर 854/349 रकबा 2.40है0 में खातेदार 1. सुनीता पत्नि रामलखन हि0 3/10 जाति मीना निवासी 15/2 गिरधर हॉस्पिटल मालवीय नगर जयपुर खातेदार एवं 2. प्रकाशी देवी पत्नि विशंभर दयाल हि0 7/10 जाति मीना निवासी 340 आम का पुरा बडोली सवाई माधोपुर खातेदार राहिन हि0 7/10 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बांसखोह दर्ज हुआ। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 348 रकबा 3.91है0 किस्म बंजड सिवाईचक भूमि दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम दौलतपुरा के हाल खसरा नम्बर 348 के गत खसरा नम्बर 128 मि. है0 खसरा नम्बर 349 के गत खसरा नमबर 128/2 है। मुताबिक मौका स्थिति अनुसार पाया कि मौके पर खसरा नम्बर 853/349 रकबा 0.12है0 भूमि पर प्रतिवादी छाजूराम मीना द्वारा पुख्ता निर्माण कर काबिज है। खसरा नम्बर 854/349 मे लगभग 1.50है0 भूमि पर वादीगण का कब्जा है, जिसमें से कुछ भाग समतल भूमि है व शेष भाग ढलाननुमा पहाडी रूप में है। खसरा नम्बर 853/349, 854/349 व 348 में कब्जे के संदर्भ में नजरी नक्शा तैयार किया गया है जिनमें वादीगण व प्रतिवादी के कब्जे को अलग अलग रंग से प्रस्तावित कर दर्शाया गया है जो कि साथ में संलग्न है।

अतः वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र मे अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का धर्मपुरा तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 854/349 व 853/349 की नक्शा तरमीम संलग्न

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

3/3

नजरी नक्शा में दर्शित लाल रंग की जगह किया जावें व हरे रंग की जगह खसरा नम्बर 348 के नक्शे की तरमीम कर वादीगण का वाद घोषित किया जावें कि वादीगण संलग्न नक्शें अनुसार काबिज होने से उक्त पूर्व नक्शें को दुरूस्त कर वादीगण की भूमि की संख्यामित सीमाओं की घोषणा की जावें।

अतः पत्रावली में उपलब्ध वादीगण के वाद पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील वादी की बहस का मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित भूमि में खसरा नम्बर 854/349, खसरा नम्बर 853/349 व खसरा नम्बर 348 की नक्शा तरमीम प्रस्तावित नजरी नक्शें अनुसार किया जाकर सीमाओं की घोषणा की जाती है तथा वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

(ललित मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण

प्रकाशी देवी वगै0 बनाम छाजूराम वगै0

<u>दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट</u>

मुकदमा नं0 – 42/2024

दिनांक 23.07.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री रामकरण शर्मा वकील वादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित भूमि में खसरा नम्बर 854/349, खसरा नम्बर 853/349 व खसरा नम्बर 348 की नक्शा तरमीम प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार किया जाकर सीमाओं की घोषणा की जाती है तथा वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

डिक्री दिनांक 23.07.2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

| मिलान स्टाप अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुदई | रुपये | पैसे | मुदालयह | रुपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजूह सबुत | | | स्टाम्प वजूह सबुत | | |
| महन्तानावकील | | | महन्तानावकील | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| बबत्हजराय हुक्मनामा | | | बबत्हजराय हुक्मनामा | | |
| मुत0 | | | मुत0 | | |
| मिलान | | | मिलान | | |

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ